

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13/03/2026

क्रमांक: 532 /PHME/1943/2025:: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर डाक्टरों के मासिक स्टायपेंड में निम्नानुसार वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है-

क्र.	पदनाम	वर्तमान में प्रचलित स्टायपेंड	उपरोक्त मूल्य सूचकांक 2.94 के अनुसार दि. 01.04.2025 से निर्धारित स्टायपेंड
1	पी.जी.प्रथम वर्ष	75,444	77,662
2	पी.जी.द्वितीय वर्ष	77,764	80,050
3	पी.जी. तृतीय वर्ष	80,086	82,441
4	इंटरन	13,928	14,337
5	सुपर स्पेशलिटी प्रथम वर्ष	80,086	82,441
6	सुपर स्पेशलिटी द्वितीय वर्ष	80,086	82,441
7	सुपर स्पेशलिटी तृतीय वर्ष	80,086	82,441
8	सीनियर रेसिडेंट	88,210	90,803
9	जूनियर रेसिडेंट	61,515	63,324

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक..... दिनांक द्वारा

महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

वित्त विभाग, मंत्रालय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

क्रमांक 29 /एस.आर. 964685/बजट-6

Digitally signed by

Babita Vasuniya

Date: 12-03-2026

11:28:00

(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक 13/03/2026

दिनांक 13/03/2026 महालेखाकार,

20 ग्वालियर की ओर एक अतिरिक्त प्रति राहित अग्रेषित।

532 प्रदेश शासन वित्त विभाग
पृ.क्र. / PHME/1943/2025

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2. निज सचिव अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
5. संबंधित संभागायुक्त.....।
6. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. संबंधित, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय.....म.प्र.।

- 9 प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, म.प्र.।
 - 10 प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर, म.प्र.।
 - 11 संचालक, मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर, म.प्र.।
 - 12 अधीक्षक, क्षेत्रीय तंत्र विज्ञान संस्थान भोपाल, म.प्र.।
 - 13 अधीक्षक, मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर, म.प्र.।
 - 14 संबंधित संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय.....म.प्र.।
 - 15 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी.....
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योपित।
- 16 गार्ड फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

े